न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 228/2015/223 आर टी ए

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. पूर्णराम पुत्र तेजाराम जाति नायक निवासी चैलासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. श्यामाराम पुत्र तेजाराम जाति नायक निवासी चैलासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. हजारीराम पुत्र तेजाराम जाति नायक निवासी चैलासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. हीरालाल पुत्र तेजाराम जाति नायक निवासी चैलासरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 31.08.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर प्र0सं0 161/2012 अनवानी पूर्णराम आदि बनाम स्टेट

उपस्थित :–

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–09.03.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अनवानी पूर्णराम आदि बनाम स्टेट प्रस्तुत किया कि वादीगण का एक पूर्वज डूंगरराम है, डूंगरराम के दो पुत्र बीजाराम व कानाराम हुए बीजाराम ने कानाराम के पुत्र चोखाराम को खोला लिया जो उनके भाई कानाराम का पुत्र था उक्त चोखाराम भी लाऔलाद फौत हो गया व कानाराम के एक पुत्र तेजाराम भी था जिसके चार पुत्र वादीगण हुए। तेजाराम भी फौत हो गया उक्त पूर्वज बीजाराम के नाम से सन् 1952 से पूर्व ही मौजा चैलासरी मे 32.07 बीघा बारानी भूमि खसरा नं. 16 मे आवंटन हुई उसकी मृत्यु के बाद उसके खोलायत पुत्र चोखाराम के नाम से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई उसी दरमियान सेटलमेंट सम्वत् 2029 से 2038 मे उक्त खसरा नं. 16 से खसरा नं. 158 मे परिवर्तित हुआ सम्वत 2041 से 2044 मे वादीगण के पिता

तेजा के फौत होने पर वर्तमान मे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे विरासतन उसका नाम दर्ज हुआ वर्तमान मे उक्त भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे विरासतन दर्ज हुआ। वादीगण के नाम से मौजा चैलासरी के खसरा नं. 158 की 8.02 बीघा वादी सं. 3 हजारीराम के नाम व वादी श्यामाराम के नाम खसरा नं. 389/158 मे 8.01 बीघा वादी सं. 4 हीराराम के नाम खसरा नं. 390/158 मे 8.02 बीघा व वादी सं. 1 पूर्णराम के नाम खसरा नं. 391/158 मे 8.02 बीघा खाता विभाजन के बाद राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदारी दर्ज है। इस प्रकार वादीगण द्वारा 15एएए(2क) के तहत निःशुल्क खातेदारी पाने के अधिकारी है। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वाद डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट भू–धारक एवं प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है जिन्होने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद मे अंकित कथनो को अस्वीकार करते हुए दावा वादीगण सिद्ध नही होने के आधार पर कथन किये थे दावा वादी को स्वयं को सिद्ध करना था उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर दावा किसी सूरत मे काबिले डिक्री नही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिस भूमि की रेस्पो0 को खातेदारी प्रदान की है वह भूमि सम्वत 2012 से पूर्व उनके पूर्वजो के लगातार कब्जा मे होनी सिद्ध नही होती है। खसरा मिलान क्षेत्रफल एवं लगातार खसरा गिरदावरी पत्रावली पर प्रस्तुत नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि के प्री–55 के होने संबंधित कोई साक्ष्य नही था ना ही रेस्पो0 का लगातार काबिज होने का कोई सबूत था एवं बिना सिलिंग सीमा की जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर निःशुल्क खातेदारी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत दी है। अपीलाधीन निर्णय जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विधि परीक्षण होने के बाद श्रीमान जिला कलक्टर के पत्र क्रमांक प.16(5)विधि परीक्षण/विधि/14/6402 दिनांक 16.11.15 के प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 02.12.2015 को अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर राजकीय अधिवक्ता को अपील तैयार करने हेतु पत्र प्रेषित किया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील तैयार करने उपरांत बिना किसी देरी के ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। इसलिए प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुति मे हुई देरी कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद

मानी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है रिकार्ड के विपरीत है समस्त रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, नियमन व खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से पूर्व पूर्ण प्रक्रिया की पालना कानून के मुताबिक की गई है। विवादित आराजी रेस्पो0 की राजस्थान भूमि सुथार जागीर पुनग्रहण नियम सन् 1952 के अनुसार सूचना पत्र के अनुसार 1955 से पूर्व की रेस्पो0 से पूर्व उनके पूर्वजो की व उनके बाद रेस्पो0 के कब्जा काश्त गैरखातेदारी भूमि है। जो 1955 से पूर्व की आराजी काश्त की भूमि है। यह भूमि आईजीएनपी क्षेत्र मे भूमि गैरखातेदारी से खातेदारी दिये जाने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 15एएए(2क)(3) के तहत निःशुल्क खातेदारी अधिकारो के तहत आती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के कथनानुसार ''दावा वादी को स्वयं को सिद्ध करना था उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर दावा किसी सूरत मे काबिले डिक्री नही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिस भूमि की रेस्पो0 को खातेदारी प्रदान की है वह भूमि सम्वत 2012 से पूर्व उनके पूर्वजो के लगातार कब्जा मे होनी सिद्ध नही होती है। खसरा मिलान क्षेत्रफल एवं लगातार खसरा गिरदावरी पत्रावली पर प्रस्तुत नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि के प्री–55 के होने संबंधित कोई साक्ष्य नही था ना ही रेस्पो0 का लगातार काबिज होने का कोई सबूत था एवं बिना सिलिंग सीमा की जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर निःशुल्क खातेदारी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत दी है। अपीलाधीन निर्णय जो विधिक प्रावधानो के विपरीत है।'' जबकि

रेस्पो. के कथनानुसार एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो के अनुसार रेस्पो0 के पूर्वज बींझा पुत्र डूंगर के नाम से सन् 1952 से पूर्व ही मौजा चैलासरी मे 32.07 बीघा बारानी भूमि खसरा नं. 16 मे आवंटन हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके खोलायत पुत्र चौखा के नाम से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे जमाबंदी ग्राम चैलासरी सम्वत .... मे दर्ज हुई। सैटलमेंट सम्वत 2029 से 38 मे उक्त खसरा नं. 16 से खसरा नं. 158 परिवर्तित हुआ। सम्वत 2041 से 44 मे रेस्पो0 के पिता तेजाराम के फौत होने पर वर्तमान मे रेस्पो0 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे विरासतन दर्ज हुआ। वर्तमान मे उक्त रेस्पो0 के नाम से मौजा चैलासरी के खसरा नं. ासरा नं. 158 की 8.02 बीघा वादी सं. 3 हजारीराम के नाम व वादी श्यामाराम के नाम खसरा नं. 389/158 मे 8.01 बीघा वादी सं. 4 हीराराम के नाम खसरा नं. 390/158 मे 8.02 बीघा व वादी सं. 1 पूर्णराम के नाम खसरा नं. 391/158 मे 8.02 बीघा खाता विभाजन के बाद राजस्व रिकार्ड मे गैरखातेदारी दर्ज है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब स्टेट मे भी स्टेट द्वारा दावा की मद सं. 4 को मुताबिक रिकार्ड स्वीकार किया गया है। दावा की मद सं. 4 मे वादग्रस्त भूमि के प्री–55 होने तथा दावा मे वर्णित तथ्यं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होते है जिसे स्टेट द्वारा स्वीकार किया गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई विपरीत तथ्यं अपील के समर्थन मे प्रस्तुत नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलांट की अभिकथनो की पुष्टि नही होती है। आक्षेपित निर्णय को अपीलांट विधि विरूद्ध साबित करने मे असफल रहा है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.08.2015 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ